🔰विशेष जानकारी🔰
11/10/2024
👇👇👇👇👇👇👇👇
राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के परिपत्र संख्या - एफ.1(7)एफडी/नियम/2022 दिनांक: 08.10.2024 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा निजी विदेश यात्राओं के लिए अनुमति जारी करने के संबंध में (पूर्व में जारी सभी निर्देशों/आदेशों के स्थान पर) अब निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी -

1. उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष/डीडीओ) निजी विदेश यात्राओं की अनुमति के साथ अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे।

2. विदेश यात्रा के लिए अब अलग से विभागीय अधिकारी/नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष या अन्य सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यालयाध्यक्ष/डीडीओ के द्वारा जारी अनुमति मान्य होगी।

3. विदेश यात्रा के लिए राजस्थान सेवा नियम 1951 या संबंधित कर्मचारी के लिए निर्धारित नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष/डीडीओ द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जा सकेंगे।

4. निजी विदेश यात्रा हेतु अवकाश आवेदन के साथ आवेदक कर्मचारी को परिपत्र में अंकित निर्देशानुसार शपथपत्र/प्रमाणपत्र (Under Taking) कार्यालयाध्यक्ष/डीडीओ को प्रस्तुत करना होगा।

5. सार्वजनिक व्यवहार, आपदा प्रबंधन या कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील पद पर आसीन अधिकारी जैसे जिला कलेक्टर, एसपी/पुलिस आयुक्त और सचिवालय में प्रभारी सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।

6. अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं, अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के साथ-साथ ये निर्देश राज्य बोर्ड/निगम/सोसायटियों/ट्रस्ट आदि के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

परिपत्र के निर्देशानुसार निजी विदेश यात्रा अनुमति/अवकाश स्वीकृति के लिए अनुलग्नक-'ए' में संलग्न ऑनलाइन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली चालू होने तक सरकारी कर्मचारी पूर्व की तरह निर्धारित विभागीय प्रक्रियानुसार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

निजी विदेश यात्रा हेतु अवकाश आवेदन/अनुमति के साथ आवेदक को निम्नानुसार शपथपत्र/प्रमाणपत्र (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा-

क. मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं निजी विदेश यात्रा के दौरान किसी सेवा या व्यवसाय में शामिल नहीं होउँगा तथा सरकारी अभिलेख/सूचना की गोपनीयता बनाए रखूंगा।

ख. मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं निजी विदेश यात्रा के लिए या विदेश यात्रा के दौरान

राज्य सरकार द्वारा/के माध्यम से कोई राजकीय राशि का व्यय/विदेशी मुद्रा का उपभोग नही करूँगा।

ग. मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं निजी विदेश यात्रा के दौरान कोई विदेशी आतिथ्य/प्रायोजन स्वीकार नही करूँगा या मैं विभागाध्यक्ष/कैडर नियंत्रण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही किसी प्रकार के विदेशी आतिथ्य/प्रायोजन को स्वीकार करूँगा।

घ. मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं निजी विदेश यात्रा से लौटने के बाद अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी को अपनी विदेश यात्रा समाप्ति के बारे में यथासमय सूचित करूँगा।

इ. मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा देश छोड़ने से रोकने वाला कोई न्यायिक आदेश/अर्ध-न्यायिक आदेश जारी नहीं किया गया है।

मैं सत्यापित करता हूँ कि इस शपथपत्र (Undertaking) में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्णतया सही है। मेरे द्वारा कोई तथ्य या जानकारी छुपाई नही गई है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत इस शपथपत्र में कोई तथ्य या जानकारी मिथ्या/गलत पाई जाती है तो मैं विभागीय/न्यायिक कार्यवाही हेतु स्वयं जिम्मेदार रहूंगा और किसी प्रकार का दावा नही करूँगा।

यशवंत जांगिड़
एडमिन पैनल
*🏵️ पे मैनेजर इन्फो🏵️ *